कमीशन खोरी होने पर सज़ा नहीं होगी, ऐसी शर्तों पर मोदी ने की रफाल डील

रवीश कुमार

हिन्दू अखबार में रफाल डील की फाइल से दो और पन्ने बाहर आ गए हैं।

इस बार पूरा पन्ना छपा है और जो बातें हैं वो काफी भयंकर हैं। द हिन्दू की रिपोर्ट को हिन्दी में भी समझा जा सकता है। सरकार बार-बार कहती है कि रफाल डील में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। वही सरकार एक बार यह भी बता दे कि रफाल डील की शर्तों में भ्रष्टाचार होने पर कार्रवाई के प्रावधान को क्यों हटाया गया? वह भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इसे हटाया गया।

क्या आपने रक्षा ख़रीद की ऐसी कोई डील सुनी है जिसकी शर्तों में से किसी एजेंसी या एजेंट से कमीशन लेने या अनावश्यक प्रभाव डालने पर सज़ा के प्रावधान को हटा दिया जाए? मोदी सरकार की कथित रूप से सबसे पारदर्शी डील में ऐसा ही किया गया है।

हिन्दू अख़बार में अपने पहले पन्ने के पूरे कवर पर विस्तार से इसे छापा है। अगर सब कुछ एक ही दिन छपता तो सरकार एक बार में प्रतिक्रिया देकर निकल जाती। अब उसे इस पर भी प्रतिक्रिया देनी होगी। क्या पता फिर कोई नया नोट जारी कर दिया जाए। एन राम ने जब 8 फरवरी को नोट का आधा पन्ना छापा तो सरकार ने पूरा पन्ना जारी करवा दिया। उससे तो आधे पन्ने की बात की ही पुष्टि हुई। लेकिन अब जो नोट जारी हुआ है वह उससे भी भयंकर है और इसे पढ़ने के बाद समझ आता है कि क्यों अधिकारी प्रधानमंत्रा कार्यालय के समानांतर रूप से दखल देने को लेकर चिन्तित थे।

एन राम ने रक्षा ख़रीद प्रक्रिया की शर्तों का हवाला देते हुए लिखा है कि 2013 में बनाए गए इस नियम को हर रक्षा ख़रीद पर लागू किया जाना था। एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया अपनाई गई थी कि कोई भी डील हो इसमें छूट नहीं दी जा सकती। मगर भारत सरकार ने फ्रांस की दो कंपनियों दास्सों और एमबीडीए फ्रांस को अभूतपूर्व रियायत दी।

रक्षा मंत्रालय के वित्तीय अधिकारी इस बात पर ज़ोर देते रहे कि पैसा सीधे कंपनियों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि सीधे कंपनियों को पैसे देने की बजाए एस्क्रो अकाउंट बनाया जाए। उसमें पैसे रखे जाएं। यह खाता फ्रांस की सरकार का हो और वह तभी भुगतान करे जब दास्सो और एमबीडीए फ्रांस सारी शर्तों को पूरा करते हुए आपूर्ति करे। यह प्रावधान भी हटा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया। क्या यह पारदर्शी तरीका है? सीधे फ्रांस की कंपनियों को पैसा देने और उसे उनकी सरकार की निगेहबानी से मुक्त कर देना, कहां की पारदर्शिता है।

एन राम ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये बातें छिपाई हैं। क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इस डील में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री कार्यालय की भी भूमिका रही है? इस सवाल का जवाब सरकार से आ सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट से।

एन राम का कहना है कि बगैर ऊपर से आए दबाव के इन शर्तों को हटाना आसान नहीं है। बेवजह प्रभाव डालने पर सज़ा का प्रावधान तो इसीलिए रखा जाता होगा कि कोई ख़रीद प्रक्रिया में दूसरे चैनल से शामिल न हो जाए और ठेका न ले ले। एजेंट और एजेंसी का पता चलने पर सज़ा का प्रावधान इसीलिए रखा गया होगा ताकि कमीशन की गुंज़ाइश न रहे। अब आप हिन्दी में सोचें, क्या यह समझना वाकई इतना मुश्किल है कि इन शर्तों को हटाने के पीछे क्या मंशा रही होगी?

23 सितंबर 2016 को दिल्ली में भारत और फ्रांस के बीच करार हुआ था। इसके अनुसार दफ्तार रफाल एयरक्राफ्ट की सप्लाई करेगा और MBDA फ्रांस भारतीय वायुसेना को हथियारों का पैकेज देगी। इसी महीने में परिकर की अध्यक्षता में रक्षा ख़रीद परिषद की बैठक हुई थी। इस बैठक में ख़रीद से संबंधित आठ शर्तों को बदल दिया गया। इनमें आफसेट कांट्रेक्ट और सप्लाई प्रोटोकोल भी शामिल हैं। आफसेट कांट्रेक्ट को लेकर ही विवाद हुआ था क्योंकि अनिल अंबानी की कंपनी को रक्षा उपकरण बनाने का ठेका मिलने पर सवाल उठे थे। 24 अगस्त 2016 को पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रक्षा की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दे दी थी।

डील से एजेंट, एजेंसी, कमीशन और अनावश्यक प्रभाव डालने पर सज़ा के प्रावधान को हटाने से जो कमर्शियल सप्लायर थे उनसे सीधे बिजनेस करने का रास्ता खुल गया। इस बात को लेकर भारतीय बातचीत दल के एम पी सिंह, ए आर सुले और राजीव वर्मा ने असहमति दर्ज कराई थी। दि हिन्दू के पास जो दस्तावेज़ हैं उससे यही लगता है कि इन तीनों ने काफी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। दो कंपनियों के साथ सीधे डील करने वाली बात पर नोट में लिखते हैं कि ख़रीद दो सरकारों के स्तर पर हो रही है। फिर कैसे फ्रांस सरकार उपकरणों की आपूर्ति, इंडस्ट्रीयल सेवाओं की जम्मिदारी फ्रांस के इंडस्ट्रीयल सप्लायरों को सौंप सकती हैं। यानि फिर सरकारों के स्तर पर डील का मतलब ही क्या रह जाता है जब सरकार की कोई जम्मिदारी नहीं रह जाती है।

तीनों अधिकारी इस बात को लेकर भी आपत्ति करते हैं कि ख़रीद के लिए पैसा फ्रांस सरकार को दिया जाना था। अब फ्रांस की कंपनियों को सीधे दिया जाएगा। वित्तीय ईमानदारी की बुनियादी शर्तों से समझौता करना उचित नहीं होगा।

अब आप हिन्दी में सोचें। रक्षा मंत्रालय के तीन बड़े अधिकारी लिख रहे हैं कि वित्तीय ईमानदारी की बुनियादी शर्तों से समझौता करना उचित नहीं होगा। वे क्यों ऐसा लिख रहे थे?

आखिर सरकार फ्रांस की दोनों कंपनियों को भ्रष्टाचार की स्थिति में कार्रवाई से क्यों बचा रही थी? अब मोदी जी ही बता सकते हैं कि भ्रष्टाचार होने पर सज़ा न देने की मेहरबानी उन्होंने क्यों की। किसके लिए की। दो डिफेंस सप्लायर के लिए क्यों की ये मेहरबानी।

एन राम अब इस बात पर आते हैं कि इस मेहरबानी को इस बात से जोड़ कर देखा जाए कि क्यों भारत सरकार ने सत्तर अस्सी हज़ार करोड़ की इस डील के लिए फ्रांस सरकार से कोई गारंटी नहीं मांगी। आप भी कोई डील करेंगे तो चाहेंगे कि पैसा न डूबे। बीच में कोई गारंटर रहे। मकान ख़रीदते समय भी आप ऐसा करते हैं। यहां तो रक्षा मंत्रालय के अधिकारी कह रहे हैं कि बैंक गारंटी ले लीजिए, सरकार से संप्रभु गारंटी ले लीजिए मगर भारत सरकार कहती है कि नहीं हम कोई गारंटी नहीं लेंगे। ये मेहरबानी किसके लिए हो रही थी?

एन राम ने लिखा है कि इसके बदले सरकार लेटर ऑफ कंफर्ट पर मान जाती है जिसकी कोई कानून हैसियत नहीं होती है। उसमें यही लिखा है कि अगर सप्लाई में दिक्कतें आईं तो फ्रांस की सरकार उचित कदम उठाएगी।

यह लेटर आफ कंफर्ट भी देर से आया। 24 अगस्त 2016 की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक से पहले तक गारंटी लेने का प्रस्ताव था। यही कि फ्रांस की सरकार के पास एक खाता हो जिसे एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। उसी के ज़रिए जब जब जैसा काम होगा, जितनी सप्लाई होगी, उन दो कंपनियों को पैसा दिया जाता रहेगा। कंपनियां भी इस भरोसे काम करेंगी कि माल की सप्लाई के बाद पैसा मिलेगा ही क्योंकि वह उसी की सरकार के खाते में है। लेकिन रक्षा मंत्रालय के निदेशक ख़रीद स्मिता नागराज इसे हटा देने का प्रस्ताव भेजती हैं और मंज़ूरी मिल जाती है। प्रधानमंत्री ने इसे मंज़ूरी क्यों दी ?

अब आप यहां 8 फरवरी को छपी एन राम की रिपोर्ट को याद कीजिए। उस रिपोर्ट में यही था कि 24 नवंबर 2015 को रक्षा मंत्रालय के तीन शीर्ष अधिकारी आपत्ति दर्ज करते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय हमारी जानकारी के बग़ैर स्वतंत्र रूप से इस डील में घुस गया है। जिससे हमारी टीम की मोलभाव की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। रक्षा सचिव जी मोहन कुमार भी इससे सहमत होते हुए रक्षा मंत्री को फाइल भेजते हैं। और कहते हैं कि यह उचित होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय इससे दूर रहे।

इस नोट पर रक्षा मंत्री करीब डेढ़ महीने बाद साइन करते हैं। 11 जनवरी 2016 को। खुद रक्षा मंत्री फाइल पर साइन करने में डेढ़ महीना लगाते हैं। लेकिन रक्षा मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार सुधांशु मोहंती को फाइल देखने का पर्याप्त समय भी नहीं दिया जाता है। 14 जनवरी 2016 को सुधांशी मोहंती नोट-263 में लिखते हैं कि काश मेरे पास पूरी फाइल देखने और अनेक मुद्दों पर विचार करने का पर्याप्त समय होता। फिर भी चूंकि फाइल तुरंत रक्षा मंत्री को सौंपी जानी है मैं वित्तीय नज़र से कुछ त्वरित टिप्पणियां करना चाहता हूं।

मोहंती लिखते हैं कि अगर बैंक गारंटी या संप्रभु गारंटी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो कम से एक एस्क्रो अकाउंट खुल जाए जिसके ज़रिए कंपनियों को पैसा दिया जाए। इससे सप्लाई पूरी कराने की नैतिक जिम्मेदारी फ्रांस की सरकार की हो जाएगी। चूंकि फ्रांस की सरकार भी इस डील में एक पार्टी है और सप्लाई के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तो उसे इस तरह के खाते से आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

मोहंती अपने नोट में सरकार और कंपनी के बीच विवाद होने पर कैसे निपटारा होगा, उस पर जो सहमति बन चुकी थी, उसे हटाने पर भी एतराज़ दर्ज किया गया है। कानून मंत्रालय ने भी बैंक गारंटी और संप्रभु गारंटी की जरूरत पर ज़ोर दिया था। रक्षा मंत्रालय को भेजे गए अपने नोट में।

अब आप खुद सोचें और हिन्दी में सोचें। कोई भी कथित रूप से ईमानदार सरकार किसी सौदे से भ्रष्टाचार की संभावना पर कार्रवाई करने का प्रावधान क्यों हटाएगी? बिना गारंटी के सत्तर अस्सी हज़ार करोड़ का सौदा क्यों करेगी? क्या भ्रष्टाचार होने पर सज़ा के प्रावधानों को हटाना पारदर्शिता है? आप जब इन सवालों पर सोचेंगे तो जवाब मिल जाएगा।

रक्षा सौदो से भ्रष्टाचार का क्लॉज हटाने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री बने!

यूपीए के दौर की पेशकश से बेहतर नहीं है राफेल सौदा

संजय कुमार सिंह

"दि हिन्दू" में आज फिर पहले पन्ने पर राफेल सौदे से जुड़ी एक खबर है। और उपरोक्त शीर्षक भारतीय निगोशिएटिंग टीम के तीन डोमेन एक्सपर्ट की प्रमुख राय में है। एन राम की बाईलाइन वाली यह खबर कहती है कि रक्षा मंत्रालय के तीन वरिष्ठ अधिकारी जो सात सदस्यों की भारतीय निगोशिएटिंग टीम में डोमेन एक्सपर्ट थे, इस पुष्ट और स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि फ्लाईअवे कंडीशन में खरीदे गए 36 विमानों का राफेल सौदा यूपीए सरकार के समय डसॉल्ट एविएशन द्वारा 126 विमानों के लिए की गई पेशकश से बेहतर नहीं है। इन लोगों ने कहा है कि विमानों की डिलीवरी का समय भी पहले के 18 फ्लाईअवे विमानों की मूल प्रापण प्रक्रिया की तुलना में धीमा है।

ये निष्कर्ष भारत सरकार द्वारा किए गए दो केंद्रीय दावों के सीधे उलट हैं। ये दावे सस्ते सौदे और तेज डिलीवरी शिड्यूल के हैं। ये वो दावे हैं जिनकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट में आधिकारिक सूचनाओं में की गई है। इसके अलावा, तीन अधिकारियों ने भारत सरकार द्वारा संप्रभु या सरकारी गारंटी या बैंक गारंटी की बजाय लेटर ऑफ कंफर्ट स्वीकार किए जाने पर भी गंभीर चिन्ता जताई है। यह आईजीए, ऑफसेट मामले और डसॉल्ट एविएशन के रेसट्रिक्टिव व्यापार व्यवहार के संबंध में है।

भारतीय निगोशिएटिंग टीम के तीन डोमेन एक्सपर्ट हैं - एमपी सिंह, एडवाइजर (कॉस्ट), इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस के ज्वायंट सेक्रेट्री स्तर के अधिकारी; एआर सुले, फाइनेंशियल मैनेजर (एयर) और राजीव वर्मा, ज्वायंट सेक्रेट्री एंड एक्जिजिशंस मैनेजर (एयर) । इन लोगों ने अपना नजरिया असहमति के एक जोरदार नोट में लिखा है जो एक जून 2016 का है और सौदे के लिए बातचीत के अंत में डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ को दिया गया है जो निगोशिएटिंग टीम के चेयरमैन यानी मुखिया थे।

आठ पन्ने का यह नोट नए सौदे की शर्तों पर गंभीर चिन्ता और बेचैनी जताता है तथा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अखबार ने इसे अंदर के पन्ने पर छापा है। इसे फ्रेंच पक्ष के साथ सौदे की बातचीत पूरी होने के महीने भर बाद दोनों सरकारों के बीच करार पर दस्तखत से तीन महीने पहले लिखा गया था। अखबार ने आईएनटी में इन तीन अधिकारियों की सक्षमता के बारे में 'दि वायर' के एक आलेख का हवाला दिया है जिसे सुधांशु मोहंती ने लिखा है जो डिफेंस अकाउंट्स के पूर्व कंट्रोलर जनरल हैं और उस समय फाइनेंशियल एडवाइजर, डिफेंस सर्विसेज थे।

नए राफेल सौदे के 7.87 बिलियन यूरो की अंतिम लागत पर टिप्पणी करते हुए इन डोमेन विशेषज्ञों ने कहा है, फ्रेंच सरकार द्वारा पेश की गई कीमत की रीजनेबिलिटी (वाजिब होने की शर्त) स्थापित नहीं है। यहां तक कि फ्रेंच सरकार ने जो अंतिम कीमत पेश की है उसे मीडियम मल्टी रोल कौमबैट एयरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) की तुलना में बेहतर नहीं माना जा सकता है और इसलिए यह संयुक्त बयान की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है।

शर्तें और समय सीमा

यह इंडो-फ्रेंच (भारत फ्रांस) संयुक्त बयान का संदर्भ है जो 10 अप्रैल 2015 को जारी हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस गए थे। इसमें वादा किया गया था कि फ्लाईअवे कंडीशन में 36 राफेल विमान हासिल करने के लिए नया सौदा एक अंतर सरकारी करार के जरिए होगा जिसकी शर्तें एक अलग चल रही प्रक्रिया के भाग के रूप में डसॉल्ट एविएशन द्वारा पेश की गई शर्तों से बेहतर होगी और डिलीवरी एक ऐसी समय सीमा में होगी जो आईएएफ (भारतीय वायु सेना) की आवश्यकताओं के अनुकूल होगी।

संयुक्त बयान में इस बात की भी पुष्टि की गई है कि विमान और संबंधित सिस्टम की डिलीवरी उसी कंफीगुरेशन में की जाएगी जिसकी जांच की जा चुकी है और आईएएफ ने मंजूरी दी है और जिसके रख-रखाव की फ्रांस की जिम्मेदारी लंबी या ज्यादा है।

सात सदस्यों की निगोशिएटिंग टीम में शामिल रक्षा मंत्रालय के तीन वरिष्ठ अधिकारियों की चिन्ता और मतभेद राजग सरकार द्वारा किए गए नए राफेल सौदे के पक्ष में दिए जा रहे दो प्रमुख बचावों को शक के घेरे में ला देते हैं। पहला यह कि सौदा बेहतर शर्तों पर हुआ है और दूसरा यह की डिलीवरी शिड्यूल पहले के सौदे के मुकाबले तेज है जिसे यूपीए सरकार और एनडीए सरकार ने 10 अप्रैल 2016 तक किया था। ये सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा पेश किए गए मुख्य तर्कों में भी हैं। सुप्रीम कोर्ट को सील्ड लिफाफे में दिए गए दस्तावेजों में यह नोट शामिल था कि नहीं, यह पता नहीं है लेकिन कोर्ट में लंबित फैसले की समीक्षा के लिए याचिका देना प्रासंगिक रहेगा।

अम्बानी के मोटे चुनावी चंदे की चाहत में मोदी ने अमेरिका को भी नाराज कर दिया

गिरीश मालवीय

खबर आई है कि अमेरिका, भारत से "यूएस ट्रेड कन्सेशन" वापस ले सकता है, जिसके तहत भारत के 5.6 अरब डॉलर (40 हजार करोड़ रुपए) के एक्सपोर्ट पर अमेरिका में कोई टैक्स नहीं लगता है.

अगर ऐसा होता है तो भारत से एक्सपोर्ट होने वाले आइटम्स पर अमेरिका मोटा टैक्स वसूलेगा ओर भारतीय एक्सपोर्टर जो छोटे उद्योगों से माल लेकर सप्लाई करते थे उनकी हालत खराब हो जाएगी ओर इसका बड़ा असर लाखो की संख्या में कार्यरत एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोगो पर पड़ेगा जिनकी रोजी रोटी इनके सहारे ही चलती थीं/है.

वैसे सही यही है कि आखिर अम्बानी के आगे इन कीड़े मकोड़ों की ओकात ही क्या है? अमेरिका के इस निर्णय की जो वजह बताई जा रही है वह भी बड़ी दिलचस्प है.

दरअसल अम्बानी जी के मन मुताबिक बनाकर मोदी जी ने "ऑनलाइन रिटेल में स्त्रष्ठ्ठ की नीति को संशोधित कर दिया जो इस 1 फरवरी से लागू हो गई है. अब विदेशी निवेश वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए भारत में नियम सख्त हो गए हैं." मुकेश अम्बानी ने वाइब्रेंट गुजरात मे मोदीजी से 'डेटा के औपनिवेशीकरण' के खिलाफ कदम उठाने का आग्रह किया था, यह सिर्फ ओपचारिक आग्रह था, क्योंकि वह मोदीजी से पहले ही ई कॉमर्स के नए ड्राफ्ट में अपनी सारी सहूलियत वाली शर्तें डलवा चुके थे.

अमेरिका कम्पनियों वालमार्ट ओर अमेजन को जब तक इस बदलाव की हिंट मिलती तब तक उन्होंने अपना बड़ा निवेश भारतीय बाजार में कर दिया था, वॉलमार्ट ने पिछले साल ही मई में फ्लिपकार्ट की 77 प्रतिशत हिस्सेदारी 1.07 लाख करोड़ रुपए में खरीदी थी.ई-कॉमर्स सेक्टर में दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डील थी. अब जब इन दोनो कर्पनियों ने नए नियमों पर गौर किया तो पाया कि उनकी बिक्री 25-30 फीसदी नीचे गिर गयी हैं साथ ही आपूर्ति करने में अब लगभग दो दिन का समय लग रहा है जिससे लॉजिस्टिक्स को भी गंभीर नुकसान झेलना पड़ रहा है.

इस खबर से अमेरिकी शेयर बाजार में अमेजन का शेयर 5.38% लुढ़क गया. इस गिरावट की वजह से कंपनी का मार्केट कैप 3.21 लाख करोड़ रुपए घटकर 56.45 लाख करोड़ रुपए रह गया, वॉलमार्ट के शेयर में भी 2.06% गिरावट आ गई. अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प जेफ बेजोस ओर वालमार्ट को तो नाराज करने से रहे! उन्होंने तुरंत बदले की कार्यवाही शुरू कर दी जिसका परिणाम भारतीय व्यापार को दी जा रही छूट समाप्त करना है.

कई भले मानुषों को लगेगा कि मोदी जी यह तो नीति भारत के छोटे व्यापारी को बचा रही है, लेकिन ऐसा नही है. ऑनलाइन व्यापार बन्द नही होगा बल्कि ओर तेजी से फैलेगा. मुकेश अंबानी भारत मे अलीबाबा के सीईओ जैक मा के ऑनलाइन टू ऑफलाइन बाजार मॉडल को जैसे का तैसा लागू कर रहे हैं.

जियो के 30 करोड़ कस्टमर हैं जिसके कारण रिलायंस को अपने नए प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा.

यह है असली वजह इस नई ऑनलाइन रिटेल में FDI की नीति को संशोधित करने की.